राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1.अपील संख्या – 1530/2010/भरतपुर
2.अपील संख्या – 1531/2010/भरतपुर
3.अपील संख्या – 1532/2010/भरतपुर
4.अपील संख्या – 1533/2010/भरतपुर
5.अपील संख्या – 1535/2010/भरतपुर
6.अपील संख्या – 1536/2010/भरतपुर
.7अपील संख्या – 1537/2010/भरतपुर
8.अपील संख्या – 1539/2010/भरतपुर
9.अपील संख्या – 1556/2010/भरतपुर
10.अपील संख्या – 1557/2010/भरतपुर
11.अपील संख्या – 1558/2010/भरतपुर
12.अपील संख्या – 1559/2010/भरतपुर
13.अपील संख्या – 1560/2010/भरतपुर
14.अपील संख्या – 1561/2010/भरतपुर
15.अपील संख्या – 1562/2010/भरतपुर

मैसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज,रिको, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स बंसल स्टोन इण्डस्ट्रीज, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स जैन स्टोन गंगसा, वियर रोड, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स नांरग डायमण्ड स्टोन, रीको, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स मां भगवती स्टोन, जी–121, रीको, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स बंसल स्टोन्स, मुरक्की, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स गणपति स्टोन्स, गेगंस, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स जगदीश स्टोन, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल्स मिल्स, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स गोयल ऑयल मिल, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स शुभम एन्टर प्राइजेज, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स सिंघल इण्डस्ट्रीज, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स गोमती स्टोन इण्डस्ट्रीज बयाना, भरतपुर।
मैसर्स के आर इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल, बयाना, भरतपुर।
मैसर्स सिंघल स्टोन गेंगस बयाना, भरतपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, मु.–बयाना, वृत–बी,
भरतपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित :

श्री जतिन हरजाई,
अभिभाषक। .....अपीलार्थियों की ओर से.

श्री एन.के.बैद
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.02.2017

निर्णय

1. ये सभी अपीले अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–II, मु. बयाना, वृत–बी, भरतपुर (जिन्हें आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा)

के द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 (जिसे आगे **"केन्द्रीय अधिनियम"** कहा जायेगा) सपठित धारा 23, 24, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित किये गये पृथक–पृथक (अपील संख्या 1530, 1532, 1558 व 1562/10 में) आदेश दिनांक 31.03.2010,(अपील संख्या 1537, 1557 व 1561/10 में) आदेश दिनांक 29.03.2010,(अपील संख्या 1531 व 1533/10 में) आदेश दिनांक 26.03.2010,(1556, 1559 व 1560/10 में) आदेश दिनांक 10.03.2010 (1535 व 1539/10 में) आदेश दिनांक 09.03.2010 व (अपील संख्या 1536/10 में) आदेश दिनांक 08.03.2010 पारित किये गये हैं, के विरूद्ध उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई थीं। अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) सपठित वैट अधिनियमकी धारा 18ए में संशोधन के अन्तर्गत उक्त अपीलें राजस्थान कर बोर्ड का क्षेत्राधिकार होने के फलस्वरूप कर बोर्ड को स्थानान्तरित की गई हैं। उक्त सभी प्रकरणों में निर्णय हेतु विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2007–08 में प्रस्तुत Trading A/C के अनुसार जॉब वर्क किया गया है। जॉब वर्क के संबंध में अपीलार्थी को **'F'** फार्म प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये जाने पर न तो **'F'** फार्म पेश किया गया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2007–08 में ट्रेडिंग एकाउन्ट के अनुसार किये गये जॉब वर्क के सम्बन्ध में एफ फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित वैट अधिनियम की धारा 23/24 के अन्तर्गत पृथक–पृथक (अपील संख्या 1530, 1532, 1558 व 1562/10 में) आदेश दिनांक 31.03.2010,(अपील संख्या 1537, 1557 व 1561/10 में) आदेश दिनांक 29.03.2010,(अपील संख्या 1531 व 1533/10 में) आदेश दिनांक 26.03.2010,(1556, 1559 व 1560/10 में) आदेश दिनांक 10.03.2010 (1535 व 1539/10 में) आदेश दिनांक 09.03.2010 व (अपील संख्या 1536/10 में) आदेश दिनांक 08.03.2010 को पृथक–प्रथक आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की गई है। सृजित मांग से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थियों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2)–(3) व धारा 18ए में हुए संशोधन के फलस्वरूप उक्त सभी अपीलें कर बोर्ड को स्थानान्तरित हुई हैं।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक ऐतराज उठाते हुए प्रकरण में अपील का क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए कथन किया कि प्रकरण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के प्रभाव में आने से पूर्व का है। यह प्रावधान दिनांक 01.06.2010 से प्रभावी हुए हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2007–08 से सम्बन्धित हैं के कर निर्धारण आदेश पृथक–पृथक तिथियों में पारित किये गये हैं। उनका यह भी कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत् वे प्रकरण ही राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिनमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) या 6ए(3) के तहत् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलों में क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 578 से 582/2011/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2014 तथा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1566/2010/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 को उद्धरित किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय स्तर पर लम्बित अपील को राज्य के उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी कर बोर्ड को स्थानान्तरण किये जाने हेतु आवेदन किया था, जिसे स्वीकार करते हुए अपील कर बोर्ड को स्थानान्तरित की गई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का प्रारम्भिक ऐतराज अब उठाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। फिर भी माननीय कर बोर्ड उचित समझे तो प्रकरण अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित करने में कोई ऐतराज नहीं है।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड व अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किया गया साथ ही उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टन्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया है। केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय अधिनियम के Act No. 20 of 2002 Sec 151 w.e.f. 11.5.02 से धारा 6ए(1) में विक्रय के इतर माल के स्थानांतरण के प्रमाण के रूप में CST (Registration & Turnover) Rules, 1957 के नियम 12(5) में विहित घोषणा पत्र फॉर्म 'एफ' को बाध्यकारी बनाते हुए इस प्रावधान में यह जोड़ा गया था कि :–

"and if the dealer fail to furnish such declaration, then the movement of goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale."

7. इसी प्रावधान के अनुरूप उपधारा (2) भी प्रावधित की गई थी।

उपधारा (2) के तहत किये गये माल स्थानांतरण के परिणामस्वरूप जिस राज्य को माल का स्थानांतरण हो रहा है, उस राज्य में विक्रय पर स्थानीय कराधान अधिनियम के तहत कर चुकाया जाता है, लेकिन यदि इस प्रकार का स्थानांतरण जांच में गलत पाया जाकर अन्तर्राज्यीय विक्रय पाया जाता है तो जिस राज्य से माल का संचलन (Movement) होता है, वह राज्य धारा 3(ए) के तहत करारोपण करता है। ऐसी स्थिति में एक ही विक्रय पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत तथा माल प्राप्ति राज्य में स्थानीय कर दोनों आरोपित हो जाते हैं। ऐसे दोहरे करारोपण के प्रकरणों में संव्यवहारों की विधिक प्रकृति निर्धारण हेतु केन्द्रीय अधिनियम में दिनांक 17.3.2005 से प्रावधान चैप्टर VI के अन्तर्गत धारा 19 से 26 प्रावधित की गई, जिसमें Authority to settle disputes in course of interstate Trade or Commerce के विषय में प्रावधान किये गये हैं। धारा 19 में Central Sales Tax Authority ('CSTA') के संस्थापन, क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि के प्रावधान किये गये हैं। धारा 20 में राज्य के उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी (राजस्थान में 'कर बोर्ड') द्वारा पारित अपीलों से प्राप्त प्रकरणों में अपील का क्षेत्राधिकार दिया गया है। CSTA की स्थापना के साथ ही धारा 24 में स्थापित Authority for Advance ruling के पास लम्बित प्रकरण की CSTA को स्थानांतरित हो जायेंगे। धारा 25 की उपधारा (1) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि CST (Amendment) Act 2005 के प्रभाव में आने की तिथि से धारा 24(1) के तहत स्थापित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित प्रकरण (राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त अपीलों के अलावा) को मय रेकॉर्ड तुरन्त राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी को स्थानांतरित हो जायेगी। उपधारा (2) के तहत राज्य के उच्चतम अपीलीय प्रधिकारी स्थानीय अधिनियम में प्रावधित अनुसार अपील का निस्तारण करेंगे। इस उपधारा के साथ एक परन्तुक भी था, जो कि दिनांक 1.6.2010 से विलोपित हुआ है, के अनुसार यदि राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी यह पाये कि अपीलार्थी प्रथम अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाया है तो ऐसे अपीलीय अधिकारी को प्रकरण अग्रेषित कर सकता है। दिनांक 17.3.2005 से केन्द्रीय अधिनियम में धारा 20 को जोड़े जाने पर सशक्त अधिकारी के द्वारा धारा 6ए सपठित धारा 9 के कर निर्धारण आदेश की अपील सीधे CSTA को की जाती थी। इसलिए धारा 25 में संशोधन से पूर्व किसी स्तर पर लम्बित अपील Central Authority को स्थानान्तरित होती थी। धारा 18ए के प्रावधानों के प्रभाव में आने से पूर्व सशक्त अधिकारी के आदेश की अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत करने के प्रावधान विद्यमान थे।

8. इन प्रावधानों के आलोक में प्रस्तुत प्रारम्भिक ऐतराज उचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय व्यवहार में संव्यवहार के इतर माल के राजस्थान राज्य से स्थानान्तरण के समर्थन में धारा 6ए(2) सपठित नियम 12(5) के तहत विहित घोषणा प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये हैं। यह विधिक स्थिति केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन दिनांक 11.2.2005 से प्रभावी है।

9. इस प्रकार उपलब्ध तत्कालीन प्रावधानों के आलोक में तथा प्रकरणों में 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं होने के तथ्य के मद्देनजर सशक्त अधिकारी के कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार का निष्कर्ष अपीलार्था व्यवहारी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों यथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील संख्या 578 से 582/2011 व अन्य मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–द्वितीय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2014 व एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1566/2010/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 में प्रतिपादित किया गया है। अतः हस्तगत उपरोक्त अपीलें उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों से आच्छादित (कवर्ड) होने से उनमें दिये गये निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सभी अपीलें अपीलीय अधिकारी को लौटाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरणों में अपीलार्थियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर तीन माह में विधिसम्मत आदेश पारित करें।

10. परिणामस्वरूप अपील प्रारम्भिक ऐतराज को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी को न्याय संगत आदेश पारित करने हेतु लौटाई जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष